न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— नरेन्द्र के. वर्मा (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बरः— 140/2015
(RCMS No—2015/00049)

उनवान प्रकरण

1—कल्यानसिंह । पुत्रगण
2—प्रमोदकुमार । स्व0 मंगलसिंह
3—विमलादेबी पत्नी स्व0 ओमकार
4—सन्तोष । पुत्रगण
5—राजेश । स्व0 ओमकार
6—अजय । समस्त नाबालिक पिसरान स्व0 ओमकार
7—बिजय ।
8—किरन । सरपरस्ती मॉं विमलादेबी पत्नी स्व0 ओमकार।
9—अंजना ।
10—सविता पुत्री स्व0 ओमकार

। समस्त जातिगण लोधा
। निवासीगण ग्राम डण्डोली
। तहसील व जिला धौलपुर

.... प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार साहव तहसील धौलपुर जिला धौलपुर

.........................अप्रार्थीगण

(प्रा0पत्र आधीन धारा 144 जा0दी0)
निर्णय दि0 26.03.2007 उनवानी होली बनाम
मंगलसिंह प्रा0पत्र 14/04 कृषि भूमि आवन्टन
नियम 1970 की पालना कराये जाने बावत

उपस्थिति :—

प्राथी की ओर से :— श्री हरिवीर सिंह एडवोकेट
अप्रार्थी की ओर से :— श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 13.03.2020

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि प्रार्थी के पूर्व पुरुष मंगलसिंह पुत्र नन्दकिशोर के नाम 31.12.1971 को खसरा संख्या 235/1 रकवा

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

04 बीघा साबिक हाल खसरा नम्बर 98/685 रकवा 03 बीघा 05 विस्वा बॉके ग्राम डण्डौली तहसील धौलपुर का विनियमन हुआ था जिस पर प्रार्थीगण के पूर्व पुरुष मंगलसिंह को नियमानुसार खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके थे और वो उक्त आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्त कर रहे थे मंगलसिंह का दिनांक 09.02.2005 को देहान्त हो चुका है एवं स्व0 मंगलसिंह के जायज एवं कानूनी वारिसान प्रार्थीगण है और मंगलसिंह द्वारा छोडा गया समस्त तर्का प्रार्थीगण ने ही प्राप्त किया है। होली पुत्र सुन्दरा जाति लोधा निवासी डण्डौली तहसील व जिला धौलपुर द्वारा मंगलसिंह के विरुद्व नियमन आदेश को निरस्त कराने के लिये 14(4) का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 16.07.1991 को स्वीकार करते हुये न्यायालय ने नियमन आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायालय श्रीमान के आदेश के विरूद्व भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में मंगलसिंह द्वारा अपील प्रस्तुत की गई वह श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा दिनांक 09.07.1993 को निरस्त कर दी गई उस निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की गई जो दिनांक 21.07.1998 को निरस्त की गई। इस सब के विरूद्व स्व0 मंगलसिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर में सिबिल रिट पिटीसन 5044/98 प्रस्तुत किया जिसे माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर द्वारा स्वीकार करते हुये न्यायालय के आदेश दिनांक 16.07.1991 एवं निर्णय दिनांक 09.07.1993, श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 01.07.1998 को निरस्त कर न्यायालय के लिये 14(4) की कार्यवाही के लिये मामला पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया। न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 26.03.2007 को निर्णय करते हुये प्रार्थी के बिरूद्व की गई नियम 14(4) की कार्यवाही को ड्रॉप कर दिया है एवं दिनांक 12.04.2007 कमांक/कोर्ट/2007/158 से अप्रार्थी तहसीलदार धौलपुर को निर्णय की पालना हेतु परवाना जारी किया जा चुका है लेकिन तहसीलदार द्वारा आज तक निर्णय की पालना नहीं की गई है। चूकि पूर्व के निर्णय दिनांक 16.07.1991 की पालना करते हुये भूमि को चारागाह दर्ज कर दिया है लेकिन प्रार्थीगण आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार की हैसियत से काश्त कर रहे है। न्यायालय श्रीमान के उक्त आदेश की पालना हेतु प्रार्थीगण ने तहसीलदार साहव को कई वार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है लेकिन तहसीलदार धौलपुर ने जानबूझ कर न्यायालय के आदेश की अबहेलना कर रहे है इससे मजबूर होकर प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। स्व0 मंगलसिंह के देहान्त के बाद उनकी पत्नी द्रोपती एवं पुत्र ओमकार का भी देहान्त हो चुका है द्रोपति के वारिसान कल्यानसिंह एवं प्रमोदकुमार है एवं ओमकार के वारिसान 3 लगा0 10 है जिन्हें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर परवाना दिनांक12.04.2007 कमांक कोर्ट/2007/158 की कराये जाने की प्रार्थना की है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। तथा प्रकरण से सम्बधित मूल पत्रावली जिला अभिलेखागार से तलव की गई। अप्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय में विवादित खसरा नम्बर का कहीं भी उल्लेख दर्ज नहीं है जिससे यह प्रतीत होता है कि फैसला इसी केस का है या नहीं। मृतक लोगों के ना तो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है ना ही शिजरा पेश किया है जिस कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये अपनी वहस में कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर ने सिबिल रिट पिटीसन 5044/98 स्वीकार करते हुये न्यायालय के आदेश दिनांक 16.07.1991 एवं निर्णय दिनांक 09.07.1993, श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 01.07.1998 को निरस्त कर न्यायालय के लिये 14(4) की कार्यवाही के लिये मामला पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया। न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 26.03.2007 को निर्णय करते हुये प्रार्थी के बिरूद्व की गई नियम 14(4) की कार्यवाही को ड्रॉप कर दिया है एवं दिनांक 12.04.2007 कमांक/कोर्ट/2007/158 से अप्रार्थी तहसीलदार धौलपुर को निर्णय की पालना हेतु परवाना जारी किया जा चुका है लेकिन तहसीलदार द्वारा आज तक निर्णय की पालना नहीं की गई है। चूकि पूर्व के निर्णय दिनांक 16.07.1991 की पालना करते हुये भूमि को चारागाह दर्ज कर दिया है लेकिन प्रार्थीगण आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार की हैसियत से काश्त कर रहे है। न्यायालय श्रीमान के उक्त आदेश की पालना हेतु प्रार्थीगण ने तहसीलदार साहव को कई वार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है लेकिन तहसीलदार धौलपुर ने जानबूझ कर न्यायालय के आदेश की पालना आज तक नहीं की है। अतः पालना करवाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी वहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय में विवादित खसरा नम्बर का कहीं भी उल्लेख दर्ज नहीं है जिससे यह प्रतीत होता है कि फैसला इसी केस का है या नहीं। मृतक लोगों के ना तो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है ना ही शिजरा पेश किया है जिस कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी का मुख्य रूप से यह कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर ने सिबिल रिट पिटीसन 5044/98 स्वीकार करते हुये न्यायालय के आदेश दिनांक 16.07.1991 एवं निर्णय दिनांक 09.07.1993, श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 01.07.1998 को निरस्त कर न्यायालय के लिये 14(4) की कार्यवाही के लिये मामला पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया। न्यायालय श्रीमान द्वारा

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

दिनांक 26.03.2007 को निर्णय करते हुये प्रार्थी के बिरूद्व की गई नियम 14(4) की कार्यवाही को ड्रॉप कर दिया है एवं दिनांक 12.04.2007 कमांक/कोर्ट/2007/158 से अप्रार्थी तहसीलदार धौलपुर को निर्णय की पालना हेतु परवाना जारी किया जा चुका है लेकिन तहसीलदार द्वारा आज तक निर्णय की पालना नहीं की गई है। चूकि पूर्व के निर्णय दिनांक 16.07.1991 की पालना करते हुये भूमि को चारागाह दर्ज कर दिया है लेकिन प्रार्थीगण आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार की हैसियत से काश्त कर रहे है। तहसीलदार धौलपुर ने जानबूझ कर न्यायालय के आदेश की पालना आज तक नहीं की है। अतः पालना करवाई जावे।

यहाँ पर पैरोकार सरकार का यह कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय में विवादित खसरा नम्बर का कहीं भी उल्लेख दर्ज नहीं है जिससे यह प्रतीत होता है कि फैसला इसी केस का है या नहीं। मृतक लोगों के ना तो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है ना ही शिजरा पेश किया है।

हमने प्रकरण से सम्बधित जिला अभिलेखागार से तलव की गई मूल पत्रावली का अवलोकन किया जिसके अवलोकन से यह जाहिर होता है कि माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर की सिविल रिट पिटीसन 5044/98 निर्णय दिनांक 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा निर्णय दिनांक 26.03.2007 पारित किया गया है जिसमें विवादित आराजी का स्पष्ट उल्लेख किया गया है तथा स्व0 मंगलसिंह के वारिसों का भी उल्लेख है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांक कोर्ट/2007/158 दिनांक 12.04.2007 के द्वारा अपना निर्णय दिनांक 26.03.2007 तहसीलदार धौलपुर को पालना हेतु भेजा गया है परन्तु जिसकी पालना रिपोर्ट पत्रावली पर उलब्ध नहीं है जिसकी पालना तहसीलदार धौलपुर से अपेक्षित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह पाते है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधीन धारा 144 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा तहसीलदार धौलपुर को जारी पत्र कमांक कोर्ट/2007/158 दिनांक 12.04.2007 की पालना भिजवाने हेतु तहसीलदार धौलपुर को परबाना जारी किया जावे। उक्त प्रा0पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र के. वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)